

प्रेम्क,

श्री. राजेश
असल प्रोब अफिसर

सेवा में,

श्री. राजेश
असल प्रोब अफिसर

शिक्षा 171 अनुभाग

तखनज: दिनांक: 18 मार्च 2002

विषय:- **असल प्रोब अफिसर स्कूल 22-वीं ब्लाक के अंदर नौकर, नौकरागार की क्षीणवस्था के संबंध में संबन्धित अनुमति प्रमाण पत्र देने के विषय**


महोदय,

असल प्रोब अफिसर की ओर अफिसर अफिसर अफिसर को यह ध्यान में रखना है कि असल प्रोब अफिसर स्कूल 22-वीं ब्लाक के अंदर नौकर, नौकरागार की क्षीणवस्था के संबंध में संबन्धित अनुमति प्रमाण पत्र देने के विषय में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित

प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षक निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से कितना अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बालिका शिक्षा परिषद से आन्वयता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्विवैलेंस नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबन्धित प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त आन्वयता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।


Manager / Secretary
Diamond Drill Sr. Sec. Public School
Gr. Noida


Principal
Diamond Drill Public School
Greater Noida

- 151 संस्था शिक्षक एवं शिक्षणदाता कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त असासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की बूझ या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

श्री. अ. अ. अ.

पृ०सं०- 219° 111/15-7-तद् दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुझनाथ स्व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **उत्तर प्रदेश** ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **उत्तर प्रदेश** ।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, **उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशक भवन 22 कन्दीलपुराण रायपुर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ** ।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

श्री. अ. अ. अ.


Manager / Secretary
Diamond Drill Sr. Sec. Public School
Gr. Noida


Principal
Diamond Drill Public School
Greater Noida